

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार पासवान,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

FAX  
e-mail सेवा में

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव;  
सभी विभागाध्यक्ष;  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त;  
सभी जिला समाहर्ता।

पटना-15, दिनांक- 05-04-19

विषय - बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधिसूचना की गजट प्रति का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 6, 2019) के अधिसूचना की गजट प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी), जो विधि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० एल०जी०-01-15/2018/1569/लेज दिनांक-25.02.2019 द्वारा अधिसूचित है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2. उक्त अधिसूचना की गजट प्रति राजस्व विभागीय वेब साईट [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर भी upload है।

विश्वासभाजन,

अनु०-यथोक्त।

(वीरेन्द्र कुमार पासवान),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 235 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-महाधिवक्ता, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार पासवान),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 235 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार पासवान),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 235 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार पासवान),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 235 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार पासवान),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 235 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार पासवान),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 235 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर आज ही upload कर देंगे।

(वीरेन्द्र कुमार पासवान),  
सरकार के संयुक्त सचिव।



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं0 पटना 279) पटना, सोमवार, 25 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 फरवरी 2019

सं० एल0जी0 01 15/2018/1569/लेज --बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निर्माताखत अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी, 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 6, 2019]

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(बिहार अधिनियम 12, 1962) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम, 1961 की धारा-16 में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम की धारा-16 की उप धारा (3) एतद्वारा निरसित की जाती है।

(2) उक्त अधिनियम की धारा-16 में निम्नलिखित नई उप धारा-(4) जोड़ी जायेगी:—

- “(4)(i) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(3) के निरसन के पश्चात्, राज्य सरकार, राजस्व पर्वद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामलों अथवा कार्यवाही उपशमित समाप्ती जायेगी।
- (ii) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(3) के निरसन के अनुसरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि, उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

25 फरवरी 2019

सं० एल०जी०-01-15/2018/1570/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापरिचित और महागौरव राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमत बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 6, 2019) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ मसझा जायेगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 6, 2019]

The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land)  
(Amendment) Act, 2019

AN  
ACT

To amend The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act 12 of 1962)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, Extent and Commencement.**—(1) This Act may be called The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force immediately.

2. **Amendment in Section-16 of the Act, 1961.**—(1) Sub section (3) of Section-16 of the said Act is hereby repealed.

(2) In the Section-16 of the said Act, the following new sub section-(4) shall be added:—

“(4)(i) After the repeal of sub section-(3) of Section-16 of this Act, all cases or proceedings pending before the State Government, the Board of Revenue,

the Bihar Land Tribunal, the Divisional Commissioner, the Collector, the Additional Collector, the Deputy Collector Land Reforms or in any other Court, shall be deemed to be abated.

- (ii) Pursuant to the repeal of sub section-(3) of Section-16 of this Act, any purchase money together with a sum equal to 10% thereof, already legally deposited shall be refunded, without any interest, to the depositor."

By Order of the Governor of Bihar,

*Jitendra Kumar,*

*Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 279-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>